# -: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :-

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 92/2024

**उनवान**

1. कानाराम
2. सांवरलाल
3. महेन्द्र पि. जगन्नाथ
4. ग्यारसी पत्नी जगन्नाथ
5. रामलाल पि. जगन्नाथ ना.बा. जरियें संरक्षक माता ग्यारसी
6. रामावतार पि. जगन्नाथ ना.बा. जरियें संरक्षक माता ग्यारसी
7. सुनिता पि. जगन्नाथ ना.बा. जरियें संरक्षक माता ग्यारसी समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चांदसेन, नसीराबाद

-- प्रार्थीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

**बनाम**

1. हनुमान पुत्र चन्द्रा
2. जगदीश पुत्र चन्द्रा
3. पप्पू पुत्र कैलाश
4. धारा पत्नी कैलाश समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चांदसेन, नसीराबाद

-- अप्रार्थीगण :- 1 से 4 जरियें अध्विक्ता श्री सुखदेव चौधरी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

-: आदेश :- दिनांक :- 25/3/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चांदसेन के हाल खसरा नमबर 431 रकबा 1.28, 432/1604 रकबा 0.38 व 432/1856 रकबा 0.53 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की है। प्रार्थीगण उक्त आराजी पर फसल काश्त कर वर्षो से अपना व अपने परिवार का पालान-पोषण करते आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी को हडपने के आशय से अप्रार्थीगण ने 1 वर्ष से आराजी मुतनाजा पर अवैध कब्जा कर लिया है। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा से प्रार्थीगण को मेहरूम करने व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने जवाब मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जवाबकर्ता आराजी मुतनाजा पर पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण जवाबकर्ता को हैरान परेशान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:02:42 IST
Reason: SelfAttested

--2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

करने के लिये उक्त आवेदन पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र 50 वर्ष बाद पेश किया है। अतः आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के प्रावधान के अनुसार आवेदन पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण को आराजी मुतनाजा पर जवाबकर्ता के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करने हेतु पाबंद किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने जवाब प्रति प्रार्थना पत्र नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

**प्रथम दृष्टया मामला :–**

ग्राम चांदसेन के हाल खसरा नमबर 431 रकबा 1.28, 432/1604 रकबा 0.38 व 432/1856 रकबा 0.53 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद में अप्रार्थीगण को बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी नही होने के कारण उनके द्वारा बैचान नही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण का कथन है कि उनका कब्जा आराजी मुतनाजा पर पूर्वजों के समय से ही है। साथ ही प्रार्थीगण को पाबंद करने हेतु निवेदन किया है। किन्तु आराजी मुतनाजा पर कब्जे के वैधानिक अथवा वैधानिक होने के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। इस स्तर पर आराजी मुतनाजा पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु कोई विषम परिस्थितियॉ सिद्व नही होती है। प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी व अप्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। आराजी मुतनाजा पर कब्जा अप्रार्थीगण का है। आराजी मुतनाजा पर कब्जे कर अवधि मूल वाद में साक्ष्य से ही तय की जावेगी। अप्रार्थीगण उक्त आराजी का बैचान नही कर सकते है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी व अप्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी व अप्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी व अप्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थी व अप्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

**आदेश** :– अतः ग्राम चांदसेन के हाल खसरा नमबर 431 रकबा 1.28, 432/1604 रकबा 0.38 व 432/1856 रकबा 0.53 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:02:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद